

प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
लखनऊ

सेवा में,

प्रबन्धक,
श्री मार्टिन इंटरनेशनल स्कूल,
बंगरिया, दुबग्गा, हरदोई रोड, लखनऊ।

पत्रांक-बेसिक/माध्यता/ 1234

/2020-21 दिनांक 3.7.2020

विरुद्ध- नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 की धारा-18 के प्रयोजन के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 के नियम 18 के उपनियम (4) तथा नियमावली 2011 के अर्धन विद्यालय के लिए अनंतिम माध्यता प्रमाण -पत्र।

महोदय,

आपके आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पर्याप्तता पत्राचार/गिराज की प्रति एवं माध्यता समिति के निर्देश से मैं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, लखनऊ आपके विद्यालय को शिक्षा सत्र 2020-21 से एक वर्ष की अवधि के लिए प्राथमिक स्तर (कक्षा-6 से कक्षा-8 तक) अग्रणी माध्यम की अनंतिम (अस्थायी) माध्यता प्रदान की संतुष्टता देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किये जाने के अधीन है:-

1. माध्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पर्याप्त माध्यता/संयोजन करने के लिए कोई बाध्यता प्रयोजित नहीं है।
2. विद्यालय नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपबंध 1) और नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 (उपबंध 2) तथा नियमावली 11 के उपबंधों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा 1 में (या यथास्थिति, नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा के बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा-विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें नि:शुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।
4. पैरा-3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियाँ प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अधीन नहीं करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को, उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा:-
7. प्रवेश दिये गये किसी बालक को, विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा।

किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न के अधीन नहीं किया जाएगा।

प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किए गये अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।

अधिनियम के उपबंध के अनुसार नि:शक्ताताग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।

अध्यापकों की मर्ती अधिनियम की धारा 23 (1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक, जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं हैं, पाँच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे।

अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है

और

अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन किया कलापों में नियोजित नहीं करेंगे।

8. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचार्या के आचार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
9. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और सनियमों को बनाए रखेगा।

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल-

7618 वर्ग मीटर

कुल निर्मित क्षेत्रफल-

3555 वर्ग मीटर

कीड़ास्थल -

उपलब्ध है

कक्षाओं की संख्या-

मानक के अनुसार

Muma
MARTIN INTERNATIONAL SCHOOL,
Krisna Nagar Phase-4,
Near Dubagga Taxi Stand,
Hardoi Road, Dubagga, Lucknow- 226101

Muma

जिला शैक्षिक शिक्षा अधिकारी

मथुरा

मेधा

हरदो

बेबी मार्टिन इन्टरनेशनल स्कूल

बेनरिया, दुबग्गा, हरदो रोड, जजोरी

मथुरा

पत्रांक-शैक्षिक/मान्यता/ 1285-

/2020-21 दि.ंक 3.7.2020

विषय- निगुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 की धारा-18 के प्रकोषण के लिए निगुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 के नियम 18 के उपनियम (4) तथा दिनांक 2011 के अधीन विद्यमान के लिए अनतिम मान्यता प्रमाण -पत्र।

महोदय, आपके आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पर्याप्तता पत्राधार/निरीक्षण की प्रति एवं मान्यता समिती के निर्देश से मैं जिला शैक्षिक शिक्षा अधिकारी, मथुरा आपके विद्यालय को शिक्षा वर्ष 2020-21 से एक वर्ष की अवधि के लिए प्रारम्भिक स्तर (कक्षा-1 से कक्षा-5 तक) बच्ची मान्यता की अनतिम (प्रारम्भिक) मान्यता प्रदान की संतुष्ट देता हूँ।

- 1. उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किये जाने के अधीन है-
 - 1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और शर्तों किरी भी हिस में कक्षा 5 के पर्याप्त मान्यता/संतुष्ट करने के लिए कोई मान्यता दिवसित नहीं है।
 - 2. विद्यालय निगुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपबंध 7) और निगुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 (उपबंध 7) तथा नियमपत्ती 11 के उपबंधों का पालन करेगा।
 - 3. विद्यालय कक्षा 1 में (यथास्थिति, मंती कक्षा में) उस कक्षा के बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस पर्यंत के कमजोर बर्गों और सुविधा-विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निगुल्क और अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।
 - 4. धारा-9 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूर्ति किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियों प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक फूड बैंक खता रहेगा।
 - 5. सोसाइटी/विद्यालय किसी कंपिटेशन गुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अधीन नहीं करेगा।
 - 6. विद्यालय किसी बालक को, उसकी आयु का संतुष्ट न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और न अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा-
 - 1. प्रवेश दिये गये किसी बालक को, विद्यालय में उसकी प्रारम्भिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेर नहीं किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा।
 - 2. किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीडन के अधीन नहीं किया जाएगा।
 - 3. प्रारम्भिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
 - 4. प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किए गये अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।
 - 7. अधिनियम के उपबंध के अनुसार, निरास्तताग्रस्त/विरोध अवसरकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना। अध्यापकों की शर्त अधिनियम की धारा 23 (1) के अधीन तथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक, जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं है, पाँच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे। अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है।

- और
 - 1. अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन किया कक्षाओं में नियोजित नहीं करेंगे।
 - 2. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यकार्य के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
 - 3. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और सनियमों को बनाए रखेगा।
- | | |
|------------------------------|----------------|
| विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल- | 7018 वर्ग मीटर |
| कुल निर्मित क्षेत्रफल- | 3555 वर्ग मीटर |
| कोशालता - | उपलब्ध है |
| कक्षाओं की संख्या- | मानक के अनुसार |

BABY MARTIN INTERNATIONAL SCHOOL
 Krishna Tower Phase-4,
 Near Dubagga Taxi Stand,
 Harid Road, Dubagga, Lucknow- 226101

Okumar

4

प्रधानमन्त्री-कार्यालय एवं एटाफ के लिए कक्षा- उपलब्ध है।
पुस्तकालय/बाचनालय- उपलब्ध है।
बालक एवं बालिकाओं के लिए पुष्पक लीब्ररी- उपलब्ध है।
वेदजल सुविधा- उपलब्ध है।
बन्धनरहित पहुँच- उपलब्ध है।

- अभ्यापन पठन सामग्री/वीडियो खंड/प्रदर्शन/कार्यक्रम/विज्ञान सामग्री की उपलब्धता- उपलब्ध है।
10. विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यार्थियों को नाम से कोई भी गैर-मान्यता प्राप्त बन्दार नहीं बनाई जाएगी।
 11. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या लीबा-खान का प्रयोग केवल शिक्षा और शैक्षणिक विकास के प्रयोजन के लिए किया जाता है।
 12. विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1980 (1980 का 20) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटीज द्वारा या सासमय प्रपत्ता किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्याया द्वारा चलाया जा रहा है।
 13. स्कूल को किसी व्यक्ति/व्यक्तियों के समूह या संगम या किसी अन्य व्यक्तियों के सामने के लिए नहीं चलाया जा रहा है।
 14. विद्यालय के सेवाओं की किसी चार्टर एकाउंटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित सेवा विवरण नियमों के अनुरार तैयार किए जाने चाहिए। प्रत्येक सेवा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
 15. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्या-740 है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।
 16. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करेगा जो समय-समय पर शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हों और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अनुदेशों का पालन करता है जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों के साथ अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाएं।
 17. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण यदि कोई हो को सुनिश्चित किया जाए।
 18. शासनादेश दिनांक 11.01.2019 में दिए गये समस्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। इस सम्बन्ध में यह भी आदेशित किया जाता है कि मान्यता पत्रावली के साथ प्रस्तुत पत्राजातों में भविष्य में कोई तथ्य गोपन/कट्टरमना प्रकार में जाती है तो विद्यालय की मान्यता समाप्त करने के साथ ही विद्यालय प्रबन्धक के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जायेगी। जिसके लिए विद्यालय प्रबन्धक स्वयं उत्तरदायी होगा।

भवदीय
(दिनेश कुमार)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
लखनऊ

प्रमुख एवं दिनांक-उक्तवत

- प्रतिलिपि-सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1. जिलाधिकारी, लखनऊ।
 2. मुख्य विकास अधिकारी, लखनऊ।
 3. शिक्षा निदेशक (बेसिक) उ०प्र०, लखनऊ इलाहाबाद।
 4. सचिव, उ०प्र० बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद।
 5. जिला समाज/अल्पसंख्यक/पिछड़ा वर्ग/जिला विकलांग कल्याण अधिकारी, लखनऊ।
 6. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी, लखनऊ।
 7. कार्यालय गार्ड फाइल।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
लखनऊ

(Handwritten signature)